पेटेंट, डिजाइन एवं व्यापार चिन्ह महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम) कार्यालय तथा

यूरोपीय पेटेंट कार्यालय (ईपीओ) के बीच द्विपक्षीय सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन

पेटेंट, डिजाइन एवं व्यापार चिन्ह महानियंत्रक कार्यालय (सीजीपीडीटीएम) का प्रतिनिधित्व

डा. अजय दुआ सचिव, भारत सरकार ने किया तथा

यूरोपियन पेटेंट कार्यालय (ईपीओ) का प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष प्रोफेसर एलन पोंपिडो ने किया जिन्हें आगे से "पक्ष" कहा जाएगा,

औद्योगिक संपदा के विकासात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए,

ज्ञान-आधारित समाज एवं नई प्रौद्योगिकीयों के आने से उपजी चुनौतियों का प्रभावी हल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवीकरण को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय औद्योगिक संपदा तंत्र में सुधार एवं इसे सुदृढ़ बनाने की जरूरत को पहचानते हुए,

पेटेंट प्रदाता प्राधिकरण के रूप में तथा पेटेंट एवं पीसीटी में सहयोग में ईपीओं की व्यापक विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए,

और भारतीय पेटेंट पद्धति में आधुनिकीकरण एवं इसमें सधार हेतु भारत सरकार के व्यापाक प्रयास एवं निवेश के मद्देनजर;

निम्नलिखित बातों पर सहमत हुए हैं:

शीर्षक I
उद्देश्य एवं सिद्धांत

अनुच्छेद 1

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों संस्थाओं के इस क्षेत्र में दायित्वों के अनुसार, पेटेंट के क्षेत्र में इन कार्यालयों के बीच और अधिक सहयोग बढ़ाना है।

अनुच्छेद 2

पार्टियां भारत और यूरोप के पेटेंट कार्यालयों का, उनके उद्योग और नागरिकों के लाभों के लिए सशक्तिकरण में सहयोग देने पर सहमत हैं।

इस प्रयोजन के लिए पार्टियां आपसी विश्वास, सम्मान और साझा मूल्यों के आधार पर एक संबंध विकसित करने पर सहमत हैं।

जहां तक संभव हो तथा कोई भी संभाव्य हितों में टकराव से बचने के लिए सहयोगात्मक कार्यकलाप उन अन्य सहयोगात्मक कार्यक्रमों के समन्वय से किया जाए जिस पर पक्षों ने ईपीओ सदस्य राज्यों के बौद्धिक संपदा संस्थानों, यूरोपिय आयोग, या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) सहित तीसरे पक्ष के साथ सहमति व्यक्त की है।

शीर्षक II
सहयोग के विशिष्ट क्षेत्र

पक्ष निम्नलिखित क्षेत्रों में मुख्य रूप से, लेकिन अनन्य रूप से नहीं, सहयोगात्मक कार्यकलापों का वार्षिक कार्यक्रम विकसित करेः

अनुच्छेद 3
पेटेंट प्रदान करने की प्रक्रिया

हितपक्ष पेटेंट के क्षेत्र में आधुनिकीरण, प्रक्रियात्मक संगतीकरण एवं सरलीकरण पर अपने कार्यो के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान हेतु संचार के स्थायी चैनल कायम रखेंगे।

संबंधित पेटेंट प्रणाली के कार्य में सुधार के उद्देश्य से पीसीटी, वर्गीकरण मुद्दों, गुणवत्ता आश्वासन एवं परीक्षण कार्य सहित पेटेंट प्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में विशेषज्ञ स्तर के नियमित परामर्श होने चाहिए।

जहां तक खोज एवं महत्वपूर्ण परीक्षण दोनों का प्रश्न है, विशिष्ट रूप से ईपीओ सीजीपीडीटीएम को पेटेंट प्रदान करने की प्रक्रिया के सुधार में सहयोग देगा। विशेष रूप से जैव-प्रौद्योगिकी या कंम्पूटरीकृत आविष्कारों जैस जटिल एवं त्वरित रूप से उभर रहे तकनीकी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए, ईपीओ सीजीपीडीटीएम के "परीक्षण दिशा-निर्देश" को विकसित एवं इसे अद्यतन करने के लिए सलाह एवं सहायता देगा।

यह सहायता मुख्य रूप से भारत में ईपीओ अधिकारियों के विशेषज्ञ मिशन द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 4
प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

ईपीओ सीजीपीडीटीएम को, उसके मानव संसाधन विकास में भारत में ईपीओ विशेषज्ञ मिशन के जरिए, यूरोप में ईपीओं एवं अन्य पेटेंट कार्यालयों में सीजीपीडीटीएम अधिकारियों के अध्ययन दौरे तथा यूरोपियन पेटेंट अकादमी द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों में सीजीपीडीटीएम अधिकारियों की भागीदारी के जरिए सहायता देगा।

ईपीओ भारत में कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं शिक्षा तथा बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए जबावदेह राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना में सहायता देगा।

अनुच्छेद 5
स्वचालन (ऑटोमेशन)

हितपक्ष, डाटा आदान-प्रदान इष्टतम करने डाटाबेस एवं (पीसीटी) इलेक्ट्रानिक फाइलिंग जैसे प्रशासनिक प्रक्रियाओं तक पारस्परिक पहुंच के उद्देश्य से अपने कार्यालयों में संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र को अद्यतन बनाने की संभावना खोजेगें।
इस उद्देश्य से हित पक्ष अपने संस्थानों में संबंधित स्वचालन (ऑटोमेशन) नीतियों एवं रणनीतियों तथा विकास योजनाओं या सूचना तंत्र के कार्यान्वयन संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे।
ईपीओ पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार सीजीपी डीटीएम को पेटनेट के जरिए ईपीओक्यूयूई सिस्टम तक पहुंच उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद 6
पेटेंट डाटाबेस एवं डाटा एक्सचेंज

हितपक्ष अपने परीक्षकों एवं आम लोगों को और पूर्ण एवं बेहतर गुणवत्ता की पेटेंट सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकसाथ कार्य करने को सहमत होते हैं।
हितपक्ष अपने संबंधित पेटेंट कानूनों के अनुरूप पेटेंट आवेदनों तथा स्वीकृत पेटेंटों दोनों के लिए सूचना का आदान-प्रदान कर सकते हैं। सूचनाओं का आदान-प्रदान इलेक्ट्रानिक रूप में किया जाए।

अनुच्छेद 7
बौद्धिक संपदा जागरूकता एवं नवीकरण

पक्ष सेवाओं के सृजन एवं कार्यान्वयन में सहयोग करें जिससे समाज के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक संपदा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ेगी।

इस में औद्योगिक संपदा से संबंधित क्षेत्र में कार्यरत आविष्कारक, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, उद्यमी, शिक्षाविद, अधिवक्ता, बौद्धिक संपदा प्रोफेशनल एवं लोकसेवा अधिकारी जैसे औद्योगिक संपदा के पणधारियों हेतु सेमिनार, विचार-गोष्ठी कार्यशाला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं।

इस क्षेत्र में कार्यकलापों में, बौद्धिक संपदा संवर्धन एवं नवीकरण में समर्पित केंद्रों के नेटवर्क का विकास शामिल होगा। यथा-संभव, यह नेटवर्क का अन्य देशों, विशेषकर यूरोप के इसी प्रकार के मौजूदा नेटवर्क से संपर्क स्थापित करेगा।

इन कार्यकलापों का समन्वय अन्य भागीदारों जैसे कि सरकारी एजेंसियों, विश्वविद्यालयों, चैंबर ऑफ कामर्स, आदि के साथ होना चाहिए जो नेटवर्क को बनाए रखने तथा इसका रखरखाव करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।

शीर्षक III
संयुक्त समिति

अनुच्छेद 8
गठन एवं विचारार्थ विषय

पक्ष, समझौता ज्ञापन के परिणामस्वरूप सहयोगात्मक कार्यकलापों की निगरानी करने तथा दोनों संस्थानों के हित संबंधी किसी बिन्दु पर विचारों के आदान-प्रदान को सुलभ बनाने के लिए संयुक्त आयोग गठित करने पर सहमत है।

अनुच्छेद 9
बैठकें

यह समिति वार्षिक कार्य संबंधी कार्यक्रमों को अनुमोदन देने तथा किए गए सहयोगात्मक कार्यों की निगरानी एवं इसका मूल्यांकन करने के लिए एक वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी। किसी पक्ष के औपचारिक लिखित अनुरोध एवं दूसरे पक्ष की इस पर सहमति से भी बैठक आयोजित की जा सकती है।

प्रत्येक बैठक की कार्यसूची, स्थल एवं तिथि का निर्णय पक्षों के पारस्परिक सहमति से किया जाएगा।

शीर्षक IV
वार्षिक कार्यक्रम

अनुच्छेद 10

पक्ष, प्रत्येक वर्ष विशिष्ट सहयोगात्मक कार्य नियत करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम संयुक्त रूप से तैयार करेंगे एवं इस पर सहमति देंगे।

प्रत्येक वार्षिक कार्य योजना में कार्य के कार्यक्षेत्र, संसाधनों का प्रशासन और नियोजन, कुल लागत एवं उनका वितरण, समय सारणी और किसी अन्य आवश्यक सूचना सहित सहयोगात्मक कार्य करने की विस्तृत योजना शामिल होगी।

यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कार्य योजना में इस समझौता ज्ञापन के शीर्षक II में निर्धारित सभी क्षेत्रों में सहयोगात्मक क्रिया-कलाप शामिल हों।

अनुच्छेद 11
निधि पोषण

प्रत्येक क्रियाकलाप का कार्यान्वयन, सहयोगात्मक कार्य के लिए संबंधित कार्यालयों के वार्षिक बजटों में अपेक्षित निधियों की उपलब्धता की शर्तों के अधीन होगा।

शीर्षक V
अंतिम प्रावधान

अनुच्छेद 12
लागू होना

यह समझौता ज्ञापन, इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के अगले दिन से प्रभावी हो जाएगा।

अनुच्छेद 13
संशोधन

पक्षों की पारस्परिक सहमति से समझौता ज्ञापन में संशोधन किया जा सकता है, इसको लागू करने की तिथि का उल्लेख करने वाले पत्रों के आदान-प्रदान से इसे औपचारिक रूप दिया जा सकता है।

अनुच्छेद 14
विवादों का निपटारा

इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या या प्रवर्तन से संबंधित विवादों का निपटारा पक्षों के पारस्परिक परामर्श एवं सहमति से किया जाएगा।

अनुच्छेद 15
समापन

यह एमओयू दो वर्ष की अवधि के लिए संपादित किया जा रहा है और पक्षों की आपसी सहमति की शर्त के अध्यधीन इसका नवीकरण किया जाएगा।

कोई भी एक पक्ष कम से कम 90 कैलेंडर दिवस का लिखित नोटिस दूसरे पक्ष को देकर कभी भी इस एमओयू को समाप्त कर सकता है।

इस एमओयू को समय से पहले समाप्त करने के कारण ऐसे किसी सहयोग के कार्य पर प्रभाव नहीं होगा, जिस पर तब वार्षिक कार्य कार्यक्रमों के तहत सहमति हुई थी, जब यह प्रभावी था।

अंग्रेजी भाषा में दो मूल प्रतियों पर नई दिल्ली में 29 नवंबर, 2006 को हस्ताक्षरित।

कृते महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह का कार्यालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

हस्ता./————
डा. अजय दुआ
सचिव, औ.नी. एवं सं. विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

कृते यूरोपियन पेटेंट कार्यालय

हस्ता./————
एलन पोम्पीडो

अध्यक्ष